न्यायालय नायब तहसीलदार पटेवा उपतहसील पटेवा,

जिला महासमुन्द

//ज्ञापन//

क्र/ 853 /वा/उप.तह/2023 पटेवा, दिनांक/4/07/ 2023

प्रति,

हल्का पटवारी नं. 10,
ग्राम– रायतुम,
तहसील महासमुंद

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
CANCELLED

विषय :– अभिलेख दुरूस्त करने बाबत्।

––00––

इस न्यायालय का रा.मा.क्र. 202307121600028 ब–121 वर्ष 2022–23 में पारित आदेश दिनांक 14/07/2023....... के अनुसार ग्राम रायतुम में स्थित भूमि कुल ख.नं. 05 कुल रकबा 1.85 हे. भूमि पर से डेरहीन पिता जगतराम का नाम विलोपित कर वर्तमान ग्राम कोटवार देवदास पिता बनउ जाति पनका ग्राम नौकर (सेवा भूमि) का नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः आदेशानुसार अभिलेख दुरूस्त कर पालन प्रतिवेदन 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
पटेवा (छ.ग.)

सत्य प्रतिलिपि
प्रभारी अधिकारी
नकल शाखा, तह.कार्या.महासमुंद

न्यायालय नायब तहसीलदार पटेवा, जिला–महासमुन्द (छ0ग0)

//ज्ञापन//

क्रमांक/1532/वा./उप. तह./2025 — पटेवा दिनांक 18/06/2025

प्रति,

हल्का पटवारी नं0 –10
ग्राम – रायतुम

विषय :– अभिलेख दुरूस्त करने बाबत्।

---000---

इस न्यायालय का राजस्व प्रकरण क्रमांक 202307121600028 ब–121 वर्ष 2022–23 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2025 के अनुसार ग्राम रायतुम में स्थित भूमि कुल ख.नं. 05 कुल रकबा 1.85 हे. भूमि पर से डेरहीन पिता जगतराम का नाम विलोपित कर वर्तमान ग्राम कोटवार देवदास पिता बनउ जाति पनका ग्राम नौकर (सेवा भूमि) का नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है। तद्नानुसार हल्का पटवारी अभिलेख दुरूस्त करे तथा उक्त भूमि के कालम में अहस्तांतर्णीय, सेवा भूमि दर्ज करे।

अतः अभिलेख दुरूस्त कर पालन प्रतिवेदन 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

नायब तहसीलदार
पटेवा, जि.महासमुन्द(छ.ग.)

नायब तहसीलदार पटेवा, जि.महासमुन्द (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार पटेवा, जिला–महासमुन्द (छ0ग0)

//ज्ञापन//

क्रमांक /106/वा./उप. तह./2026 पटेवा दिनांक 23/01/2026

प्रति,

हल्का पटवारी–10
ग्राम –रायतुम

विषय :– अभिलेख दुरूस्ती करने बाबत्।

––000––

इस न्यायालय का राजस्व प्रकरण क्रमांक 202601121600018 ब–121 वर्ष 2025–26 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2026 के अनुसार माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रकरण क्र हाईकोर्ट में रिट याचिका क्र0 क्र0 REVP NO-358 OF 2025 पारित आदेश दिनांक 19.11.2025 के परिपालन में आपत्ति कर्ता की आपत्ति अस्वीकार किया गया। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में नायब तहसीलदार पटेवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2025 के तहत् ग्राम रायतुम में स्थित भूमि खसरा नं. 423, 440, 703, 1571, 1591 रकबा क्रमशः 0.18, 0.05, 0.27, 1.07, 0.28 हें0 कुल ख. नं. 05 कुल रकबा 1.85 हें. भूमि पर से डेरहीन पिता जगतराम का नाम विलोपित कर वर्तमान ग्राम कोटवार देवदास पिता बनऊ जाति पनका ग्राम नौकर (सेवा भूमि) का नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

अतः हल्का पटवारी अभिलेख दुरूस्त कर पालन प्रतिवेदन 03 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

नायब तहसीलदार
पटेवा
नायब तहसीलदार
पटेवा, जि. महासमुन्द (छ.ग.)

1	2	3
28.01.2025	प्रकरण पेश। प्रकरण का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण क0 202307121600028 ब–121 वर्ष 2022–23 नायब तहसीलदार में पारित आदेश दिनांक 04.07.2023 के विरूध्द अनावेदिका डेरहीन बाई पिता जगतराम द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) में याचिका दायर किया गया था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत् सुनवाई का अवसर एवं दोनो पक्षों को तर्क सुनने पश्चात् विधिवत् कार्यवाही का निर्देश सहित, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छ.ग.) का प्रकरण WPC No. 3764 OF 2023 Order Date 10.06.2024 की आदेश प्रति प्राप्त।	

उभयपक्षकारों को नोटिस जारी कर न्यायालय आहूत किया गया जारी किया गया। जिसमें अनावेदिका द्वारा दिनांक 23.09.2024 को वादभूमि के संबंध में जवाब प्रस्तुत किया गया, जवाब के मुख्य बिन्दु इस प्रकार है :–1/ आवेदिका के नाम पर तथा भूमि–स्वामी हक में ग्राम रायतुम प.ह.नं0 10 राजस्व निरीक्षक मंडल पटेवा तहसील तहसील व जिला महासमुंद में कृषि भूमि स्थित है जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

कमांक	खसरा नंबर	रकबा(हेंक्टे0 में)
1.	703	0.27 हेंक्टे.
2.	423	0.18 हेक्टें.
3.	440	0.05 हेक्टें.
4.	1571	1.07 हेक्टे.
5.	1591	0.28 हेक्टे.
योग–	05	1.85 हेक्टे.(एक दशमलव आठ–पांच हेक्टे.)

क, उक्त भूमि आवेदिका को उसके पिता जगतराम कोटवार की

Scanned with OKEN Scanner

मृत्यु उपरांत विरासतन हक से प्राप्त हुई है। तथा तहसीलदार महासमुंद के नामांतरण कमांक 01 दिनांक 13.08.2010 के अनुसार आवेदिका के नाम पर दर्ज है।

2/ उक्त भूमि आवेदिका के दादा स्वर्गीय श्री सोविन्द गाड़ा वल्द लक्ष्मण गांड़ा को तत्कालीन मालगुजार कंवल सिंह के द्वारा ग्राम नौकर (कोटवारी) के एवज में माफी जमीन के रूप में प्रदान की गई थी जिससे संबंधित मिसल बंदोबस्त ग्राम रायतुम हल्का नबंर 02 ग्रुप सिरपुर पटेवा तहसील महासमुंद जिला रायपुर के सन् 1929–30 के प्रमाणित दस्तावेज से होती है।

3/ यह कि कालांतर में सोविंद गांड़ा की मृत्यु उपरांत आवेदिका का पिता जगतराम ग्राम कोटवार के पद पर नियुक्त किया गया तथा वह उपरोक्त माफी जमीन पर काबिज होकर काश्त करता रहा।

4/ यह कि जगतराम कोटवार की मृत्यु के बाद आवेदिका उक्त भूमि की विरासतन हक से एकल एवं पूर्ण स्वामिनी हो चुकी है, तथा ग्राम के वर्तमान कोटवार देवदास पनका को पृथक से सेवा भूमि प्रदान की जा चुकी है। आवेदिका के भूमिस्वामी हक की भूमि पर उसका कोई अधिकार नही है।

5/ यह कि, आवेदन के साथ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न है। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि आवेदन निरस्त कर नस्तीबध्द किये जाने के आदेश की कृपा हो, का लेख किया है।

प्रकरण में उभयपक्षों को आहूत कर विधिवत् सुनवाई पूर्ण की गई।

हल्का पटवारी से वाद भूमि के संबंध में बिन्दुवार जांच प्रतिवेदन मंगाया गया। हल्का पटवारी ग्राम रायतुम प.ह.नं. 10 रा.नि.मं. पटेवा तहसील व जिला महासमुंद के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें अनुसार वाद भूमि खसरा नं. 423, 440,

Scanned with OK

703, 1571, 1591 कुल खसरा नं. 05 रकबा कमशः 0.18, 0.05, 0.27, 1.07, 0.28 हें. कुल रकबा 1.85 हें. भूमि वर्तमान अभिलेख में डेरहीन बाई पिता जगतराम जाति गाड़ा के नाम पर दर्ज है। तथा खसरा नं. 20 रकबा 2.24 हें. भूमि वर्तमान अभिलेख में देवदास पिता बनऊ के नाम पर ग्राम नौकर (सेवा भूमि) के नाम दर्ज है। बंदोबस्त अभिलेख वर्ष 1989–90 के अनुसार खसरा नं. 20, 423, 440, 703, 1571, 1591 कुल ख.नं. 06 रकबा कमशः 2. 24, 0.18, 0.05, 0.27, 1.07, 0.28 कुल रकबा 4.09 हें. भूमि जगतराम पिता सोबिद ग्राम नौकर(सेवा भूमि) के नाम से दर्ज है। ग्रामवासियों के बतायानुसार, उक्त वाद भूमि खसरा नं. 423, 440, 703, 1571, 1591 कुल खसरा नं. 05 रकबा कमशः 0.18, 0.05, 0.27, 1.07, 0.28 हें. कुल रकबा 1.85 हें. वर्तमान में अनावेदिका डेरहीन बाई के द्वारा ग्राम के अन्य कृषक को अधिया–रेघा में देते है। ग्रामवासियों के बतायेनुसार अनावेदिका कभी भी ग्राम रायतुम की कोटवार नही रही है। तथा वह शिक्षा विभाग की शिक्षिका रही है जो वर्तमान में रिटायर्ड हो गई है। वाद भूमि अनावेदिका के नाम पर पूर्व कोटवार जगतराम का फौत हो जाने से फौती कटवाकर उनकी पुत्री डेरहीनबाई का नाम खाते में दर्ज हुआ। वर्तमान में ग्राम रायतुम का कोटवार देवदास पिता बनऊ जाति पनका है। वाद भूमि का विकय नही हुआ है।

प्रकरण में प्रस्तुत आदेश कं/09/वाचक/2006–07 पटेवा, दिनांक 23.01.2007 के अनुसार ग्राम रायतुम प.ह.नं. 10 रा.नि.मं. पटेवा के रिक्त पद पर देवदास वल्द धनऊदास पनका को ग्राम का अस्थाई कोटवार नियुक्त किया गया है।

अतः उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट होता है। कि ग्राम रायतुम में स्थित भूमि कुल ख.नं. 05 कुल रकबा 1.85 हें. भूमि मिसल वर्ष 1989–90 के अनुसार ग्राम नौकर (सेवा भूमि) के रूप में दर्ज रहा है। 1/ **छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र कमांक**

एफ 10–11/2020/7–4 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 27.02.2021 के द्वारा कोटवार को वर्ष 1950 के पूर्व मालगुजारों/प्रोपाराईटर द्वारा दी गई भूमि के संबंध में निर्देशित किया गया। पत्र दिनांक 21.04.2003 अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विविध याचिका कमांक 2632 एवं 2064/2000 में पारित आदेश दिनांक 03.05.2001 के अनुरूप याचिकाकर्ता कोटवारों को मालगुजारों द्वारा वर्ष 1950 के पूर्व प्रदान की गई भूमि हेतु भूमि स्वामी अधिकार दिये गये थे, जिसे विभागीय पत्र दिनांक 21.12.2011 द्वारा निरस्त किया गया है।

2/छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, कमांक एफ 10–11/2000/सात–4 (पार्ट) नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12.06.2024 के द्वारा कोटवारों को प्रदान की गई सेवाभूमि के विषय में भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 183 में आवश्यक प्रावधान किए गए है, जिसमें किसी भी सव्यवहार पर प्रतिबंध है। संहिता की धारा 165 (7–ख) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार शासन से प्राप्त भूमि के अंतरण के पूर्व कलेक्टर की मंजूरी आवश्यक है। विभागीय परिपत्र क. एफ 10–11/ 2000/सात/समन्वय, दिनांक 21 अप्रैल 2003 के अनुकम में कई कोटवार के द्वारा विधि विरूध्द भूमि का विकय किया गया है। विकय पर प्रतिबंध एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय परिपत्र दिनांक 21.12.2011, 10.03.2014 एवं 27.12.2021 जारी कर निर्देशित किया गया है।

अतः उक्त आदेश अनुसार ग्राम रायतुम में स्थित भूमि खसरा नं. 423, 440, 703, 1571, 1591 कुल खसरा नं. 05 रकबा कमशः 0.18, 0.05, 0.27, 1.07, 0.28 हें. कुल खसरा नं. 05 कुल रकबा 1.85 हें. भूमि पर से डेरहीन पिता जगतराम का नाम विलोपित कर वर्तमान ग्राम कोटवार देवदास पिता बनऊ जाति पनका ग्राम नौकर (सेवा भूमि) का नाम दर्ज किये जाने का

आदेश पारित किया जाता है। तदनानुसार हल्का पटवारी अभिलेख दुरूस्त करें तथा उक्त भूमि के कॉलम में अहस्तांतर्णीय, सेवा भूमि दर्ज करें। हल्का पटवारी द्वारा अभिलेख दुरूस्त कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रकरण नस्तीबध्द कर दा0द0 हो।

नायब तहसीलदार
पटेवा
नायब तहसीलदार
पटेवा, जि. महासमुन्द (छ.ग.)

2025:CGHC:56406

2025:CGHC:56406

NAFR

HIGH COURT OF CHHATTISGARH AT BILASPUR

REVP No. 358 of 2025

1 - Devdas S/o Banaudas Aged About 62 Years R/o Ward No. 10, Birjhabhata, Village- Raitum Mahasamund, District- Mahasamund (C.G.)

... Petitioner(s)

versus

1 - Derhinbai Ganda D/o Jagatram Ganda Aged About 71 Years Caste- Ganda (Sc) R/o Village Panchayat Raitum, Patwari Halka No.10, Ra. Ni.M Patewa, Tahsil And District- Mahasamund (C.G.) Pin- 943551 (Writ Petitioner)
2 - State Of Chhattisgarh Through- The Secretary Revenue And Disaster Management Department, State Of Chhattisgarh Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Atal Nagar, Nawa Raipur, District- Raipur (C.G.) Pin- 492002 (Respondent No.1)
3 - Collector Mahasamund In The Office Of The Collectorate Mahasamund, Tahsil And District- Mahasamund (C.G.) Pin- 493445 (Respondent No.2)
4 - Tahsildar Mahasamund In The Office Of The Tahsildar Mahasamund, Tahsil And District- Mahasamund (C.G.) Pin- 493445 (Respondent No.3)
5 - Nayab Tahsildar Up- Tahsil Patewa Mahasamund In The Office Of The Nayab Tahsildar Up-Tahsil Patewa Mahasamund Tahsil And District- Mahasamund (C.G.) Pin- 493445 (Respondent No.4)
6 - Chief Secretary General Administrative Department State Of Chhattisgarh, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Atal Nagar, Nawa Raipur, District- Raipur (C.G.) (Respondent No.5)

... Respondent(s)

(Cause title is taken from Case Information System)

For Petitioner	:	Mr. Shubhank Tiwari, Advocate
For State	:	Mr. Dashrath Prajapati, Panel Lawyer
For Resp. No. 1	:	Mr. Vijay K. Deshmukh, Advocate

(Hon'ble Shri Amitendra Kishore Prasad, Judge)

Order on Board

19/11/2025

1. This review petition has been filed by the petitioner being aggrieved by the order dated 25.06.2025 passed in Writ Petition (C) No. 1742 of 2025 whereby this Court disposed of the writ

petition as a result of that order, the petitioner filed this instant review petition for partly modification of the order impugned herein.

2. Learned counsel for the petitioner/reviewer submits that the Writ Petitioner (Respondent No. 1) has failed to approach this Court with clean hands, and the petition is based on a series of false and misleading assertions. The Writ Petitioner claims that her family has been cultivating land for over a century and has held it as a traditional right passed down through generations. However, the affidavit filed by the Writ Petitioner in support of these claims contains materially false statements. Specifically, the claim that she and her forefathers have been cultivating the land for more than 100 years is demonstrably false. The Writ Petitioner is in fact a retired teacher who has never resided in the village of Raitum, nor has she served as the village Kotwar, contrary to what has been asserted in the Writ Petition. It is also pertinent to note that her father, Jagatram Ganda, who served as Kotwar, passed away long ago, and the Review Petitioner, not the Writ Petitioner, was appointed as the village Kotwar on 23.01.2007. The Writ Petition challenges the *ex-parte* order passed by the Respondent No. 5, Naib Tahsildar, on 14.07.2023, which allowed the Review Petitioner's name to be recorded in relation to the disputed land. This order was later set aside by this Court on 10.06.2024 in W.P. (C)./3764/2023 due to the violation of the principles of natural justice. The matter was remitted to the Naib Tahsildar for a fresh

order with a clear directive to provide a hearing to both parties. Following this, a final order was passed on 28.01.2025, recording the name of the Review Petitioner over the subject land. The Writ Petitioner, despite being fully aware of the final order passed by the Naib Tahsildar on 28.01.2025, has, in bad faith, filed the present Writ Petition on 29.03.2025 (W.P.(C)./1742/2025), suppressing crucial facts, including the fact that the final order had already been passed by Respondent No. 5. The Petitioner has attempted to mislead this Court by misrepresenting the factual matrix, which amounts to material suppression. Moreover, the Writ Petitioner failed to implead the Review Petitioner as a party to the proceedings, despite the fact that the entire proceedings were initiated at the instance of the Review Petitioner, as evidenced by the order sheet dated 03.07.2023. It is further submitted that the Writ Petitioner had an alternate, efficacious remedy available to challenge the final order passed by the Naib Tahsildar, but instead of utilizing this remedy, the Petitioner chose to approach this Court, raising issues that should have been addressed before the Naib Tahsildar. This Court, in its earlier orders, has consistently directed that the Naib Tahsildar be the appropriate forum for adjudicating the dispute in question. It is clear that the Writ Petitioner is attempting to bypass the proper legal procedure by invoking the jurisdiction of this Court without adhering to the principles of natural justice or following due process. The Writ Petitioner's actions also contravene established principles of law. The Review Petitioner submits that the Writ Petitioner has

2025:CGHC:56406

deliberately filed multiple Writ Petitions, each time raising new grounds and failing to raise issues in the appropriate forum. This continuous approach, filing petitions before this Court without following the proper legal procedure, is an abuse of the process of law. Moreover, the Writ Petitioner has failed to disclose all relevant facts and has not made the Review Petitioner a party to the proceedings, thus violating the principles of natural justice.

3. Learned counsel for respondent No. 1 submits that the order passed by the Naib Tahsildar on 28.01.2025 was not within the knowledge of the respondent at the time of filing the Writ Petition. The respondent, in good faith, had no intention of suppressing any material facts. The contention raised by the petitioner that there was suppression of facts is unfounded and lacks merit. While it is true that the earlier *ex-parte* order dated 14.07.2023 was set aside by this Court, the final order dated 28.01.2025 was not immediately brought to the respondents' attention, and there was no deliberate attempt to conceal this from the Court. The submission that the Writ Petitioner failed to implead the Review Petitioner as a party is due to a lack of knowledge of the final order at the relevant time.

4. I have heard both the counsel for the parties and perused the material available on record.

5. The present review petition has been filed by the petitioner, seeking a review of the order dated 25.06.2025 passed in Writ

deliberately filed multiple Writ Petitions, each time raising new grounds and failing to raise issues in the appropriate forum. This continuous approach, filing petitions before this Court without following the proper legal procedure, is an abuse of the process of law. Moreover, the Writ Petitioner has failed to disclose all relevant facts and has not made the Review Petitioner a party to the proceedings, thus violating the principles of natural justice.

3. Learned counsel for respondent No. 1 submits that the order passed by the Naib Tahsildar on 28.01.2025 was not within the knowledge of the respondent at the time of filing the Writ Petition. The respondent, in good faith, had no intention of suppressing any material facts. The contention raised by the petitioner that there was suppression of facts is unfounded and lacks merit. While it is true that the earlier *ex-parte* order dated 14.07.2023 was set aside by this Court, the final order dated 28.01.2025 was not immediately brought to the respondents' attention, and there was no deliberate attempt to conceal this from the Court. The submission that the Writ Petitioner failed to implead the Review Petitioner as a party is due to a lack of knowledge of the final order at the relevant time.

4. I have heard both the counsel for the parties and perused the material available on record.

5. The present review petition has been filed by the petitioner, seeking a review of the order dated 25.06.2025 passed in Writ

2025:CGHC:56406

dispute. As such, the proper legal course for the parties is to approach the relevant authorities for any relief they seek in respect of the final order passed on 28.01.2025.

9. In light of the above findings, the review petition is **allowed** to the extent that the direction issued in paragraph 11 of the order dated 25.06.2025 is rendered redundant and need not be acted upon. The review is granted to that limited extent.

Sd/-

(Amitendra Kishore Prasad)
JUDGE

Shayna